



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

प.स. 22-19/2026/(शै.) मसारावेविप्र/

दिनांक 1-10-2026

अधिसूचना-2159

**नवीन वेदपाठशालाओं/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों हेतु आवेदन आमंत्रण
(वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षों हेतु)**

प्रतिष्ठान की स्थापना सस्वर वेदों की श्रुति परम्परा (मौखिक परंपरा) के संरक्षण, संवर्धन, विकास तथा वेदों के अध्ययन-अध्यापन कराने एवं वेदों के प्रचार - प्रसार जैसे वेद के लिए समर्पित उद्देश्यों के लिए की गयी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो (1) सस्वर वेद के अध्ययन-अध्यापन के कार्य में जुड़े हुए हैं और (2) सस्वर वेद के अध्ययन-अध्यापन में उत्कृष्ट कार्य करते हुए सस्वर वेदपरम्परा को बचा रहे हैं तथा (3) छात्रों की परीक्षाएं प्रतिष्ठान अथवा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (वेदभूषण-10 वीं एवं वेदविभूषण-12वीं) के अन्तर्गत करवा रहे हैं, ऐसे वेद पाठशाला-संचालक संस्थाओं और गुरु-शिष्य परंपरा इकाइयों (वेद गुरुओं) से वर्ष 2026-27 में तात्कालिक अनुदान आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	कुल
पाठशाला (कुल नवीन स्वीकृत स्थान)	30	+30	+30	+23	113
गुरुशिष्य इकाई (कुल नवीन स्वीकृत स्थान)	40	+40	+50	+28	158

सूचना:

(1) वेद पाठशाला या वेद इकाई के चयन के विषय में प्रतिष्ठान से फोन नहीं किया जाता है, धनराशि या फीस नहीं मांगा जाता है। अतः पाठशाला या इकाई प्राप्त करने के लिए, किसी भी गलत लोगों के / फ्राडलोगों के झासे में / वशीली में फंसकर किसी को भी पैसे न दें / गलत लोगों के चक्कर में नहीं फंसे। सस्वर वेद मन्त्र कंठस्थीकरण के बिना वेद पाठशाला या वेद इकाई प्राप्त नहीं हो सकती।

(2) यह विज्ञापन सरकारी नौकरी या उद्योग के लिए विज्ञापन नहीं है, स्थाई या अस्थायी उद्योग भी नहीं है, स्थाई एवं निरन्तर अनुदान हेतु भी विज्ञापन नहीं है। यह योजनागत आर्थिक सहयोग व्यवस्था है, केवल योजना एवं बजट पर आधारित है, कभी भी बंद किया जा सकता है। इस योजना में चयन हेतु पर वैधानिक दृष्टि से संस्था स्वयं सेवी होगी, गुरु या अध्यापक स्वयं उद्योगी ही माने जाएंगे, सरकारी उद्योगी नहीं माने जाएंगे। छात्रों को उच्च कोटि की आवास व्यवस्था, सुरक्षा, वस्त्र, सात्त्विक भोजन तथा उच्च कोटि के सस्वर वेद एवं आधुनिक अध्यापन कराने हेतु समर्पित रजिस्टर्ड संस्था एवं समर्पित वेद गुरु केवल आवेदन करें। केवल गुणवत्ता के आधार पर चयन होगा।

निर्धारित आवेदन प्रपत्र को भर कर मांगे गए समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक 21-10-2026 सायं 5 बजे तक केवल सरकारी स्पीड पोस्ट / प्रतिष्ठान गेट में रखे गए डिब्बे में स्वयं उपस्थित होकर डालें। निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

वि.पू.
1.10.2026

Page 1 of 4

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पो.ऑ. जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN - 456006 (M.P.)

दूरभाष/Telephone : 0734 - 2502266, 2502254, ई-मेल/E-mail : msrvvpunj@gmail.com, वेब-साईट/Website : www.msrvvp.ac.in

21-10-2026 के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पर इस वर्ष हेतु विचार नहीं किया जाएगा। भविष्य केलिये, पूर्व में दर्शाये गये क्रम अनुसार, इस विज्ञापन को रोलिंग विज्ञापन के रूप में माना जाएगा।

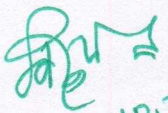
2. देश में सस्वर वेदों का अध्ययन-अध्यापन एवं वेदों का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से ऐसे विविध राज्य तथा देश के सीमान्त, सुदूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों / नगर से लगे हुए ग्रामीण अंचल/ विकासखण्ड/ ऋषि-मुनियों के नाम से प्रसिद्ध तपस्स्थली / प्रसिद्ध तीर्थ स्थान / सांस्कृतिक-ऐतिहासिक नगर-जहां पूर्व में सभी वेद शाखाएं-वेद परम्परा उत्तम रूप में जीवित थी / वनवासी क्षेत्रों / वैदिक-सांस्कृतिक परम्परा नगर, किन्तु किसी कारणवश वेद के विरोधी शक्तियां आज हैं, उन स्थानों में जहां पर प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशाला / इकाई संचालित नहीं हो रही है, किन्तु निष्ठावान् वेद बहुत सख्या में छात्र हैं, उच्च वेद अध्ययन-समर्थ वेद आचार्य हैं, उन स्थानों पर नवीन पाठशाला/ इकाई को प्रारंभ करने हेतु वरीयता प्रदान की जा सकती है।
3. वेद पाठशालाओं एवं इकाइयों को अनुदानित किये जाने की यह अतिरिक्त स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित संख्या एवं बजट के अधीन होगी। जो भी वेदपाठशाला एवं इकाई चयनित होंगीं, उन्हें प्रतिवर्ष आवेदन करना होगा तथा आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
4. वेद पाठशाला एवं इकाई के चयन विषय में अन्तिम निर्णय विशेषज्ञ समिति का रहेगा एवं सर्व मान्य रहेगा।
5. प्रतिष्ठान वेद साईट में उफलब्ध वेद पाठशालाओं एवं इकाइयों की नियमावली को पूर्णरूप से पढ़ लें। सभी शर्त स्वीकार होने पर ही आवेदन करें।
6. वेदपाठी या अन्य अध्यापक के जन्मस्थान या घर से समीप या गृहराज्य के वेदपाठशाला या इकाई में अध्यापक स्थान देने हेतु प्रतिष्ठान बाध्य नहीं हैं।
7. जिन स्थानों में प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशाला/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अभी अनुदानित होकर संचालित है, उन स्थानों में प्रतिगुरु अनुपात में छात्र सख्या बहुत कम है (पांच से भी कम है), ऐसे स्थानों पर नवीन वेदपाठशाला /इकाई पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं होगा।
8. यदि एकत्र दो से अधिक गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयां संचालित हो रही हैं, उस स्थिति में इकाइयों को समायोजित कर वेदपाठशाला के रूप में योग्य संस्था के अधीन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस के लिए तैयार रहकर ही गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों हेतु आवेदन कर सकते हैं। इकाई से पाठशाला के रूप में परिवर्तित करने के उपरान्त इकाई के रूप में मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। पुनः इकाई नहीं दी जा सकती।
9. वेद पाठशाला एवं इकाई केलिए वार्षित रूप से जो सख्या ऊपर दर्शाई गई है, वह भारत सरकार से बजट राशि प्राप्त होने पर ही मान्य होगी। सरकार से अनुदान राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस वर्ष अतिरिक्त सख्या के वेद पाठशाला एवं इकाई अनुदानित नहीं होंगे, अर्थात् अतिरिक्त पाठशालाओं एवं इकाइयों को अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। अनुदान प्राप्ति केलिए किसी भी व्यक्ति से चयन हेतु फोन कराना/ किसी भी अधिकारी को चयन हेतु मेसेज भेजना /किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से पत्र लिखवाना / बार-बार आकर मिलने का प्रयत्न करना, चयन प्रक्रिया से हटाने (Debarment) के लिए

एकमात्र कारण बन सकता है। ऐसे वेद पाठशाला एवं इकाई के आवेदकों को संपरीक्षण प्रक्रिया से बाहर (Debarment) किया जाएगा। इस तरह के लोगों को किसी भी परिस्थिति में अनुदान हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

10. किसी सरकारी स्रोत से (राज्य या केन्द्र)/सरकार से नियन्त्रित ट्रस्ट से अनुदान-राशि प्राप्त कर संस्था से वेद पाठशाला संचालित करने वालों को, वेद पारायण करते हुए वेद अध्यापन केलिए शास्त्रोक्त प्रातः कालीन उत्कृष्ट समय को पारायण में बिताने वालों को अथवा अन्य किसी सरकारी स्रोत से धनराशि प्राप्त कर इकाई संचालित कर मानदेय प्राप्त करने वालों को प्रतिष्ठान की इस योजना में नहीं जोड़ा जा सकेगा। अन्य किसी सरकारी स्रोत से/सरकार से मानदेय अप्राप्ति के विषय में शपथपत्र देना होगा।
11. वेद पाठशाला में वेद अध्यापक चयन केलिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना है। आधुनिक विषयों में चयन केलिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण होना है। वेद गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक चयन केलिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना है।

वेद पाठशाला अनुदान हेतु आवश्यक अभिलेख

1. पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत संस्था का पंजीयन अनिवार्य है। उस संस्था के अधीन वेदपाठशाला संचालित रहेगी। पाठशाला हेतु अनुदान प्राप्ति केलिए PAN संख्या प्राप्त-संस्था द्वारा एक पृथक से बैंक खाता रखना होगा।
2. भारत सरकार के दर्पण पोर्टल पर संस्था का पंजीयन अनिवार्य है।
3. संस्था का विवरण - संस्था के उद्देश्य में "सस्वर वेद अध्ययन-अध्यापन" का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। केवल शिक्षा हेतु/ सामाजिक / संस्कृति आदि उद्देश्य उल्लिखित होने पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन संस्थाओं / ट्रस्ट के उद्देश्य में सस्वर वेद अध्ययन - अध्यापन मुख्य उद्देश्य में नहीं हैं, वे संस्थाएं आवेदन नहीं करे। जिन अध्यापकों को वेदशाखा कंठस्थ नहीं हैं, ऐसे अध्यापकों को अनुदान नहीं मिलेगा, अतः संस्था ऐसे नाम प्रस्तावित न करें।
4. संस्था के उद्देश्यों में "सस्वर वेद की संपूर्ण शिक्षा एवं सस्वर वेदों का प्रचार-प्रसार हेतु पूर्ण समर्पण" का उल्लेख होना अनिवार्य है, विगत तीन वर्षों में स्वयं के व्यय से किये गये कार्यों का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। जिन संस्थाओं ने प्रतिष्ठान द्वारा दिये गये वेद प्रचार एवं प्रासर कार्य करने में असमर्थ रहीं हैं, उस संस्था पर विचार नहीं होगा।
5. अन्य किसी भी बोर्ड से परीक्षा कराने वालों के आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं होगा। शपथपत्र देना होगा कि कर्मकाण्ड पढ़ाने हेतु लाये गये स्वयं को छात्रों को संपूर्ण वेद अध्ययन करनेवाले छात्रों के साथ मिक्स नहीं करेंगे, संस्था भविष्य में अन्य किसी भी बोर्ड से संबद्धता नहीं लेगी, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से ही परीक्षा कराएगी।
6. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पिछले तीन वर्षों अथवा इससे अधिक वर्षों से संबद्धता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
7. संस्था के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य सदस्यों एवं संस्था का विवरण।

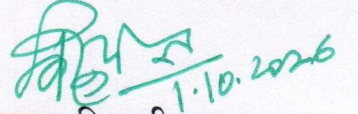

1.10.2016

8. परम्परा से संपूर्ण सस्वर वेद अध्यापन, वेद शाखा पूर्ण कंठस्थीकरण एवं अन्य आधुनिक विषय के अध्यापकों का पूर्ण विवरण, एवं वेद छात्रों का पूर्ण विवरण। जिन संस्था के वेद अध्यापकों को वेदशाखा पूर्ण रूप से कंठस्थ नहीं है, वे आवेदन न करें।

गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों के लिए अनुदान हेतु आवश्यक अभिलेख-

1. परम्परा से संपूर्ण सस्वर वेद अध्ययन संबंधी विवरण एवं वेद कंठस्थीकरण अनिवार्य है। जिन को वेदशाखा पूर्ण रूप से कंठस्थ नहीं है, वे आवेदन न करें।
2. प्रतिष्ठान या महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पिछले तीन वर्षों अथवा इससे अधिक वर्षों से संबद्धता का प्रमाण पत्र।
3. इकाई का स्थान जहां पर इकाई संचालित करना चाहते हैं।
4. इकाई गुरु के स्वतंत्र आवास पर संचालित होगी अथवा किसी संस्था के अधीन संचालित होगी स्पष्ट उल्लेख करें। एक बार स्थान निश्चित होने के उपरान्त उपरान्त किसी भी परिस्थिति में गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों का स्थानान्तरण नहीं होगा।
5. वेद पाठशाला (वेद गुरु / अध्यापक, प्रदेश एवं संस्था / स्थान) एवं इकाई हेतु स्वीकृति (गुरु, प्रदेश एवं स्थान का चयन) प्रतिष्ठान की अधिकृत चयन समिति के विवेक अनुसार आवश्यकता तथा वेद के प्रचार प्रसार की गुणवत्ता के आलोक में किया जाएगा। समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। यह शर्त आपको स्वीकृत होने पर ही आवेदन करें।

ध्यान दे: (1) किसी भी व्यक्ति से चयन हेतु फोन करवाना/फ्राड करने वाले गिरोह से संपर्क साधकर उन को धनराशि देना/किसी भी अधिकारी को चयन हेतु मेसेज भेजना/किसी अतिविशिष्ट व्यक्ति से पत्र लिखवाना/बार-बार आकर मिलने का प्रयत्न करना, चयन प्रक्रिया से हटाने (debar) के लिए एकमात्र कारण बन सकता है। अतः आवेदक इस तरह का गलत कार्य न करें।
गुणवत्ता सहित वेदशाखा का सस्वर कंठस्थीकरण, छात्रों की तैयारी में प्रयत्न करें, चयन हेतु गुणवत्ता के अलावा अन्य कोई भी मार्ग नहीं है।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

- प्रतिलिपि :** (1) सहायक निदेशक, शैक्षणिक, मसारावेविप्र।
(2) अनुभाग अधिकारी, शैक्षणिक, मसारावेविप्र।
(3) प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
(4) कार्यालय आदेश पत्रावली, तथा वेब साइट में प्रकाशनार्थ निर्देश जारी।
(5) न्यूज में प्रकाशनार्थ (न्यूज आइटम के रूप में)